कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा
संभाग–दुर्ग

जिला पंचायत के सामने,जी.ई. रोड दुर्ग, छ.ग.

Phone : 0788-2962296 E-mail : jddurg18@gmail.com

क्रमांक / स्था.03 / शिक्षक / सीधी भर्ती / ई संवर्ग / 2021 / 0725 दुर्ग, दिनांक 24/08/2021

/ /आदेश/ /

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं. 1103 / 2019 / 20–दो अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक / स्था. / विज्ञापन / सीधी भर्ती / 2019 / 422–पी.ए. अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था । विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21.11.2019 की वरीयता के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत शिक्षक ई संवर्ग, विषय व्यायाम शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर शिक्षक अराजपत्रित तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है:–

रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता / पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
13091051	LOKESHWARI/SOMENATH	ST	,, AMADULA,POST-SOMATOLA, PIN CODE-491666, DISTRICT-Rajnandgaon, CHHATTISGARH	शा.उ.मा.शाला किसान अर्जुनी, विकासखण्ड–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव	UR F

<u>उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :–</u>

1. चयनित शिक्षक 15 सितम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा ।
2. चयनित शिक्षक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों का मिलान करायेंगे, तदुउपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21 / 2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा–

   प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
   द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
   तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

   परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
4. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 6 की उप कंडिका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नवनियुक्त शिक्षक ई (एल.बी.) / टी (एल.बी.) संवर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होगी ।